

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2- अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- उपाध्यक्ष

समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4- अध्यक्ष

नियंत्रक प्राधिकारी
समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2016

विषय : "प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) मिशन" के घटक 'ख' - "भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) मिशन" का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस.) रु. 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे तथा निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) रु. 3.00 लाख से 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे। मिशन का उद्देश्य आधारभूत सिविक अवस्थापना सहित 30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। निर्मित आवासों का न्यूनतम आकार राष्ट्रीय भवन संहिता (एन.बी.सी.) में प्रदान किए गए मानकों के अनुरूप होगा।

2- भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) मिशन" हेतु जारी गाईडलाइन्स में मिशन को 4 घटकों में निम्नवत विभाजित किया गया है :-

(क) ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना।

(ख) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास।

(ग) भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.)।

(घ) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार।

3- मिशन के घटक "ख" - "भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम का विकास" का उद्देश्य स्लम से आच्छादित भूमि के पोटेन्शियल का उपयोग संसाधन के रूप में

करते हुए पात्र स्लम आवासी को आवास उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन्स के विभिन्न घटकों के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित अभिकरणों के स्तर पर उनके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले ऐसे स्लम जिनकी भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिकरण के अन्तर्गत निहित हो, पर इस घटक के अन्तर्गत परियोजनायें बनायी जा सकती हैं, जिन पर मिशन की गाईड-लाइन्स में उल्लिखित विभिन्न मदों यथा - एफ.ए.आर. में वृद्धि/टी.डी.आर. दिये जाने, भू-प्रयोग परिवर्तन की देयता के सम्बन्ध एवं भूखण्डों के अमलगमेशन इत्यादि पर केस-टू-केस के आधार पर छूट दिये जाने पर शासन द्वारा विचार किया गया।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ अभिकरण अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न स्लमों को "प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) मिशन" के घटक 'ख' - "भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास" की गाइड लाइन के अनुसार परियोजनाएं प्रस्तुत करें।

भवदीय,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या-216/2016/2937(1)/आठ-1-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
2. अध्यक्ष, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
7. अध्यक्ष, क्रेडाई, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।
9. समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को समस्त सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव